भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1892

उत्तर देने की तारीख : 30.07.2026

उद्यम सहायक पोर्टल

1892. श्री बलवंत बसवंत वानखडेः
डॉ. मोहम्मद जावेदः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2020 से अब तक उद्यम और उद्यम सहायक पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत उद्यमों का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2020 से अब तक उपर्युक्त पंजीकृत उद्यमों में से किसी भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) योजना के अंतर्गत लाभ उठाने वाले उद्यमों का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) एमएसएमई योजनाओं के बीच सूचना अभिसरण को सक्षम करने के लिए उद्यम पंजीकरण डेटा का योजना-स्तरीय डेटाबेस के साथ एकीकरण सहित उपयोग की जा रही डेटा प्रणालियों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पंजीकृत एमएसएमई के बीच योजना के उपयोग पर एक समेकित डेटाबेस के अभाव के क्या कारण हैं तथा इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 26.06.2020 की अधिसूचना का.आ. 2110 (अ) द्वारा एमएसएमई के वर्गीकरण की परिभाषा में संशोधन के बाद दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) की शुरुआत की थी। दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की गई थी। वर्ष 2020 से दिनांक 30.06.2026 तक यूआरपी और यूएपी पर पंजीकृत उद्यमों की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-I** पर दी गई है।

(ख) से (घ) : वर्ष 2020 से आज की तारीख तक प्रमुख एमएसएमई स्कीमों के तहत लाभ प्राप्त करने वाले उद्यमों का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण सीजीटीएमएसई के लिए **अनुबंध-II** पीएमईजीपी के लिए **अनुबंध- III** और पीएम विश्वकर्मा के लिए **अनुबंध-IV** में दिया गया है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल का विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के 54 डाटाबेस के साथ एपीआई एकीकरण किया गया है।

अनुबंध – I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1892, जिसका उत्तर दिनांक 30.07.2026 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य	उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) और उद्यम असिस्ट प्लेटफ़ॉर्म (यूएपी) पर पंजीकृत उद्यमों की संख्या						
		वित्त-वर्ष 2020-21	वित्त-वर्ष 2021-22	वित्त-वर्ष 2022-23	वित्त-वर्ष 2023-24	वित्त-वर्ष 2024-25	वित्त-वर्ष 2025-26	दिनांक 01.07.2020 को शुरुआत से लेकर दिनांक 30.06.2026 तक पंजीकृत एमएसएमई की संचयी संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1,771	2,883	3,802	5,364	4,311	4,421	23,835
2.	अरुणाचल प्रदेश	64,278	1,45,184	2,42,456	13,13,738	14,16,817	8,42,436	43,99,120
3.	असम	694	2,209	6,888	10,966	14,512	15,227	56,685
4.	बिहार	16,826	71,415	1,32,043	4,01,735	4,69,598	4,73,141	18,01,583
5.	छत्तीसगढ़	89,132	2,19,046	3,20,533	16,30,735	11,27,335	9,92,965	48,83,873
6.	गोवा	5,735	9,494	10,054	22,363	17,200	18,305	95,562
7.	गुजरात	32,658	68,004	1,07,517	4,73,981	3,93,443	3,02,538	15,09,998
8.	हरियाणा	89,468	1,34,601	1,78,597	4,19,078	3,16,815	3,73,245	17,39,739
9.	हिमाचल प्रदेश	5,975	8,517	15,364	46,017	31,902	24,184	1,43,497
10.	झारखंड	2,42,863	3,92,421	5,16,464	13,85,333	9,84,762	9,38,688	48,32,959
11.	कर्नाटक	1,02,871	1,79,407	2,36,479	5,18,291	5,41,329	4,99,501	23,44,388
12.	केरल	12,714	26,704	46,895	88,064	1,00,707	75,713	3,88,159
13.	मध्य प्रदेश	26,127	73,689	1,02,813	2,90,977	2,18,798	1,51,927	9,39,388
14.	महाराष्ट्र	42,491	82,102	1,40,891	6,13,263	3,74,185	3,41,285	17,64,992
15.	मणिपुर	1,50,415	3,11,357	4,18,800	15,34,850	17,08,352	9,85,195	55,51,990
16.	मेघालय	70,884	1,16,320	1,78,549	6,21,158	5,04,857	3,97,819	20,71,684
17.	मिजोरम	725	2,283	3,188	7,169	4,215	2,824	21,777
18.	नागालैंड	38	204	326	392	1,130	369	2,563
19.	ओडिशा	1,10,358	2,43,176	8,40,472	13,69,722	13,73,822	9,95,847	53,99,203
20.	पंजाब	6,37,412	9,60,101	12,01,705	27,22,198	25,60,332	22,74,746	1,12,44,409
21.	राजस्थान	10,219	13,513	20,913	46,810	45,283	45,721	1,97,221
22.	सिक्किम	684	2,184	6,600	15,696	21,065	30,954	91,496
23.	तमिलनाडु	1,097	3,515	7,797	16,422	14,038	11,803	60,615
24.	तेलंगाना	709	3,298	7,261	25,869	18,345	21,157	83,262
25.	त्रिपुरा	48,813	1,04,943	1,70,168	10,41,196	5,82,500	5,69,689	27,98,074
26.	उत्तर प्रदेश	3,795	8,095	11,406	35,590	31,014	20,661	1,18,873
27.	उत्तराखंड	1,00,796	1,82,561	2,69,295	5,94,038	5,75,950	4,61,697	23,61,758
28.	पश्चिम बंगाल	2,32,756	3,88,614	5,13,416	11,28,989	12,46,864	10,45,485	51,09,848
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	340	1,758	3,108	7,923	13,167	10,871	39,980
30.	चंडीगढ़	3,08,240	5,35,139	7,23,980	17,67,156	16,64,365	13,82,933	68,34,338
31.	दिल्ली	96,314	1,59,374	2,28,408	10,20,247	8,91,984	15,33,608	44,22,548
32.	जम्मू और कश्मीर	3,016	4,113	5,034	9,455	7,464	7,531	39,723
33.	लद्दाख	1,656	6,680	16,515	1,68,557	67,622	57,642	3,39,506
34.	लक्षद्वीप	2,16,962	4,12,405	14,68,203	25,17,504	20,13,031	22,30,953	1,00,24,280
35.	पुडुचेरी	22,372	49,203	72,413	2,09,599	1,54,057	1,60,180	7,53,174
36.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	62,537	1,68,687	2,76,603	27,63,990	10,91,960	10,61,955	59,30,456
	कुल	**28,13,741**	**50,93,199**	**85,04,956**	**2,48,44,435**	**2,06,03,131**	**1,83,63,216**	**8,84,20,556**

अनुबंध – II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1892, जिसका उत्तर 30.07.2026 को दिया जाना है के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सीजीएस वित्त-वर्ष 2021-22 से वित्त-वर्ष 2023-24 के लिए अनुमोदित गारंटियां

		वित्त-वर्ष 2021-22		वित्त-वर्ष 2022-23		वित्त-वर्ष 2023-24	
क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित गारंटी (करोड़ रुपए में)	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित गारंटी (करोड़ रुपए में)	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित गारंटी (करोड़ रुपए में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	374	35	495	50	600	128
2	आंध्र प्रदेश	49,848	1,456	2,37,520	3,545	79,938	5,395
3	अरुणाचल प्रदेश	628	82	935	147	981	198
4	असम	14,918	1,262	21,195	2,156	34,556	3,750
5	बिहार	24,217	1,661	42,360	3,468	1,13,262	8,582
6	चंडीगढ़	1,382	159	1,706	303	2,459	604
7	छत्तीसगढ़	9,670	776	17,733	1,569	25,845	2,968
8	दिल्ली	15,810	2,769	21,458	4,897	35,127	8,527
9	गोवा	2,218	174	2,826	325	4,947	611
10	गुजरात	34,929	4,836	43,336	8,209	1,06,073	19,668
11	हरियाणा	22,285	2,707	30,343	5,025	48,455	8,553
12	हिमाचल प्रदेश	10,075	792	14,898	1,275	20,600	2,080
13	जम्मू और कश्मीर	38,352	1,295	51,431	1,808	53,295	2,415
14	झारखंड	12,953	1,247	21,090	2,488	34,800	4,432
15	कर्नाटक	41,028	4,308	53,766	7,712	1,35,959	14,016
16	केरल	18,937	1,104	25,761	2,121	45,515	4,590
17	लद्दाख	205	23	467	44	637	84
18	लक्षद्वीप	11	1	25	3	7	1
19	मध्य प्रदेश	64,108	2,651	50,289	5,290	75,023	9,569
20	महाराष्ट्र	56,027	6,840	66,055	11,926	1,29,892	23,359
21	मणिपुर	1,294	101	2,268	171	1,580	111
22	मेघालय	886	93	1,410	160	1,693	252
23	मिजोरम	1,029	86	1,032	74	1,232	73
24	नागालैंड	1,692	139	1,813	162	1,563	160
25	ओडिशा	25,788	1,801	34,081	3,045	56,392	6,109
26	पुडुचेरी	1,013	74	1,087	107	2,418	233
27	पंजाब	23,172	1,661	49,720	4,385	81,259	9,632
28	राजस्थान	38,622	2,553	72,391	5,366	85,848	9,180
29	सिक्किम	479	34	765	61	1,108	102
30	तमिलनाडु	44,897	4,134	61,883	7,114	1,13,815	15,061
31	तेलंगाना	24,009	1,959	29,792	3,503	41,940	6,368
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	447	101	505	111	1039	277
33	त्रिपुरा	2,020	115	3,845	207	6,523	381
34	उत्तर प्रदेश	86,616	5,628	1,30,769	10,742	2,47,258	21,200
35	उत्तराखंड	10,048	629	16,296	1,177	26,361	2,253
36	पश्चिम बंगाल	37,033	2,887	54,440	6,036	1,06,073	11,887
	कुल	**7,17,020**	**56,172**	**11,65,786**	**1,04,781**	**17,24,073**	**2,02,807**

सीजीएस - वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2026-27 (दिनांक 30.06.2026 तक) के लिए अनुमोदित गारंटियां।

		वित्त-वर्ष 2024-25		वित्त-वर्ष 2025-26		वित्त-वर्ष 2026-27 (दिनांक 30.06.2026 तक)		2000 में शुरुआत से लेकर 30.06.2026 तक संचित	
क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	655	142	976	198	249	52	6,828	830
2	आंध्र प्रदेश	1,10,323	8,189	1,39,299	14,259	28,792	3,323	10,18,966	44,991
3	अरुणाचल प्रदेश	1,707	352	1,942	632	727	142	15,314	2,023
4	असम	75,747	6,436	49,337	8,019	8,921	1,558	3,44,083	28,981
5	बिहार	2,21,458	14,120	1,56,823	16,265	29,614	3,547	7,99,750	57,621
6	चंडीगढ़	17,401	2,711	6,838	1,731	644	217	48,347	6,772
7	छत्तीसगढ़	40,583	4,231	39,465	6,661	7,023	1,659	2,14,492	21,888
8	दिल्ली	55,120	12,824	61,686	17,995	10,028	4,014	2,91,648	60,455
9	गोवा	6,510	857	5,439	995	1,110	241	47,485	4,794
10	गुजरात	1,10,039	25,335	1,35,529	40,110	24,966	10,591	6,94,709	1,28,329
11	हरियाणा	75,244	10,865	73,035	15,549	14,103	3,939	3,55,414	53,389
12	हिमाचल प्रदेश	23,750	2,411	27,417	3,325	5,840	869	1,73,999	14,692
13	जम्मू और कश्मीर	47,201	2,816	48,736	3,633	21,169	1,493	3,82,229	16,616
14	झारखंड	64,614	6,494	59,748	8,130	14,331	1,899	3,67,458	35,243
15	कर्नाटक	1,88,144	21,453	1,48,355	28,673	27,502	6,444	10,15,588	1,07,336
16	केरल	68,755	7,693	72,725	11,255	15,229	2,466	6,00,845	39,238
17	लद्दाख	709	98	577	116	291	48	3,022	427
18	लक्षद्वीप	23	2	51	2	16	1	650	23
19	मध्य प्रदेश	1,31,490	14,213	1,07,460	18,863	19,706	4,268	6,95,986	66,904
20	महाराष्ट्र	2,38,128	39,989	2,49,969	59,178	45,882	12,702	12,30,276	1,86,062
21	मणिपुर	1,952	181	2,882	343	1,107	119	21,553	1,409
22	मेघालय	2,776	328	3,122	530	731	164	22,218	2,105
23	मिजोरम	1,472	134	2,581	286	807	83	13,584	991
24	नागालैंड	1,804	230	1,977	305	693	99	20,451	1,542
25	ओडिशा	94,128	9,684	81,988	13,517	16,614	3,218	5,24,967	47,183
26	पुदुचेरी	4,471	332	3,266	502	468	88	21,786	1,713
27	पंजाब	88,991	10,406	79,971	13,263	14,960	3,396	4,60,359	49,113
28	राजस्थान	1,20,424	13,865	1,22,758	21,308	21,211	5,422	6,51,000	67,225
29	सिक्किम	1,748	165	1,336	210	254	34	9,004	768
30	तमिलनाडु	1,79,817	21,447	1,53,804	30,072	28,747	6,816	10,84,235	1,07,970
31	तेलंगाना	97,292	11,586	91,059	18,801	16,265	4,463	4,13,248	53,090
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,025	315	1,458	466	262	108	7,229	1,814
33	त्रिपुरा	8,398	570	12,018	1,042	2,953	282	50,424	3,117
34	उत्तर प्रदेश	4,03,938	32,790	5,46,792	46,876	1,07,951	11,229	20,82,187	1,53,823
35	उत्तराखंड	26,268	2,776	28,458	4,230	5,468	979	1,78,453	15,346
36	पश्चिम बंगाल	2,03,170	19,465	1,57,912	25,207	23,953	5,711	8,38,926	85,280
	कुल	**27,15,275**	**3,05,507**	**26,76,789**	**4,32,547**	**5,18,587**	**1,01,687**	**1,47,06,713**	**14,69,104**

अनुबंध – III

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1892, जिसका उत्तर दिनांक 30.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमईजीपी-सहायता प्राप्त इकाई (यूए), संवितरित मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी													
क्र.सं.	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
		यूए की संख्या	एमएम (करोड़ रुपए)	यूए की संख्या	एमएम (करोड़ रुपए)	यूए की संख्या	एमएम (करोड़ रुपए)	यूए की संख्या	एमएम (करोड़ रुपए)	यूए की संख्या	एमएम (करोड़ रुपए)	यूए की संख्या	एमएम (करोड़ रुपए)
1	अंडमान निकोबार	155	1.86	162	2.39	121	2.03	135	1.34	61	0.96	56	0.70
2	आंध्र प्रदेश	1674	68.57	2,477	100.89	3,073	129.30	5,577	172.00	3,249	143.74	6,779	218.82
3	अरुणाचल प्रदेश	98	2.33	196	7.89	158	7.01	169	17.65	156	8.53	144	9.75
4	असम	2939	49.48	3,855	66.60	2,596	59.54	2,417	64.06	3,170	91.10	2,418	74.73
5	बिहार	2192	72.09	2,477	81.70	4,459	121.23	6,837	191.76	5,035	150.45	4,609	134.61
6	चंडीगढ़	10	0.16	21	0.62	15	0.45	10	0.22	5	0.25	4	0.10
7	छत्तीसगढ़	2718	60.63	3,020	69.41	2,543	74.93	2,379	76.25	1,853	65.64	1,112	42.30
8	दिल्ली	74	1.48	100	3.15	72	4.71	50	3.34	26	1.75	20	0.89
9	गोवा	58	1.57	87	2.98	66	2.91	68	3.23	39	1.78	29	1.22
10	गुजरात*	2854	206.37	4,143	287.05	3,071	241.83	3,000	321.25	1,783	203.64	1,833	202.25
11	हरियाणा	1740	55.13	1,726	60.93	1,559	63.20	1,398	73.25	788	42.78	1,094	63.26
12	हिमाचल प्रदेश	1208	33.81	1,274	35.51	930	31.50	974	36.48	796	29.32	902	33.14
13	जम्मू एवं कश्मीर	8575	183.06	21,648	467.14	12,023	239.94	15,065	282.50	9,863	239.41	7,837	155.45
14	झारखंड	1522	38.48	1,714	41.88	1,851	48.38	2,101	51.23	1,452	36.06	833	23.25
15	कर्नाटक	4438	125.11	5,877	158.43	5,618	161.54	4,672	158.62	2,839	94.67	3,836	141.55
16	केरल	2389	52.26	2,789	68.59	3,129	73.29	3,389	78.82	2,260	58.96	2,399	57.25
17	लद्दाख	281	11.68	295	11.82	91	3.76	122	5.85	135	6.40	182	8.47
18	लक्षद्वीप	3	0.15	7	0.18	2	0.02	-	-	-	-	-	-
19	मध्य प्रदेश	4854	138.08	8,082	209.61	5,957	181.30	5,292	185.21	2,626	95.62	1,886	84.29
20	महाराष्ट्र	3104	88.44	4,128	130.19	3,625	132.03	2,766	122.05	1,857	105.02	2,807	142.38
21	मणिपुर	1556	58.99	1,139	33.37	545	14.63	348	8.11	608	15.08	403	10.24
22	मेघालय	359	5.80	699	9.74	306	6.66	280	7.25	1,114	34.71	751	25.10
23	मिजोरम	810	14.12	650	14.62	412	13.54	401	17.55	484	15.90	343	13.63
24	नागालैंड	740	20.45	1,241	24.95	469	15.35	517	29.18	1,262	36.03	602	13.11
25	ओडिशा	3171	87.48	4,301	113.36	3,880	107.32	2,975	93.55	1,867	53.43	3,033	92.73
26	पुडुचेरी	44	1.17	66	1.44	25	0.66	30	0.97	38	1.11	23	0.59
27	पंजाब	1652	50.11	1,790	60.18	1,564	72.51	1,469	90.88	970	66.74	1,357	82.59
28	राजस्थान	2772	88.07	2,599	90.26	2,037	114.19	1,678	124.06	916	72.48	1,655	122.76
29	सिक्किम	57	1.52	85	2.14	57	1.31	132	4.49	316	11.45	315	11.31
30	तमिलनाडु	5188	138.82	5,972	164.46	6,140	178.92	6,814	198.72	3,949	121.15	7,216	199.35
31	तेलंगाना	2025	63.76	2,906	98.46	2,540	102.25	2,503	108.12	1,850	82.82	2,663	111.71
32	त्रिपुरा	842	18.30	958	20.84	703	16.89	588	14.44	730	18.61	632	16.65
33	उत्तर प्रदेश	9994	329.85	12,594	411.65	11,601	378.66	11,689	435.29	5,518	219.09	7,261	303.60
34	उत्तराखंड	2249	45.37	1,836	39.83	1,803	46.32	1,354	41.92	734	24.12	574	21.55
35	पश्चिम बंगाल	2070	74.25	2,305	85.40	2,126	74.09	1,919	74.23	1,359	53.21	886	38.02
कुल		**74415**	**2,188.80**	**1,03,219**	**2,977.66**	**85,167**	**2,722.17**	**89,118**	**3,093.88**	**59,708**	**2,202.00**	**66,494**	**2,457.34**

अनुबंध- IV

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1892, जिसका उत्तर दिनांक 30.07.2026 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमवी डेटा: 2023 से 28.07.2026 तक					
क्र.सं.	**राज्य**	**पंजीकरण**	**संस्वीकृत ऋण**	**वितरित ऋण**	**वितरित ऋण राशि (रु. में)**
1	अंडमान निकोबार	1,057	141	135	1,12,35,750
2	आंध्र प्रदेश	2,22,947	59,948	51,347	3,78,64,58,567
3	अरुणाचल प्रदेश	7,196	304	255	2,27,93,625
4	असम	1,18,861	16,148	14,619	1,33,22,24,030
5	बिहार	1,62,053	27,254	23,288	1,92,73,93,558
6	चंडीगढ़	775	86	81	69,02,501
7	छत्तीसगढ़	1,16,442	11,984	9,092	74,64,87,366
8	दिल्ली	2,619	225	216	1,80,42,500
9	गोवा	18,575	1,388	1,059	9,29,96,810
10	गुजरात*	2,14,064	51,330	41,884	3,63,42,30,034
11	हरियाणा	41,366	8,093	7,219	66,56,89,351
12	हिमाचल प्रदेश	19,701	2,218	2,090	19,16,85,992
13	जम्मू एवं कश्मीर	1,54,881	14,860	9,862	86,34,87,715
14	झारखंड	43,737	7,084	6,541	39,89,04,162
15	कर्नाटक	5,72,108	1,31,475	1,09,124	7,96,64,27,817
16	केरल	22,344	5,907	5,674	51,63,78,280
17	लद्दाख	4,189	632	602	5,96,17,000
18	लक्षद्वीप	697	19	19	15,30,000
19	मध्य प्रदेश	2,78,022	60,100	53,993	4,78,70,27,723
20	महाराष्ट्र	2,83,298	65,638	55,392	4,62,40,57,340
21	मणिपुर	18,132	2,332	2,068	19,14,94,566
22	मेघालय	4,725	84	51	39,19,935
23	मिजोरम	3,397	103	69	65,10,000
24	नागालैंड	4,550	426	404	3,93,09,659
25	ओडिशा	1,06,312	19,930	18,322	1,48,49,69,301
26	पुडुचेरी	902	174	172	1,64,29,000
27	पंजाब	13,040	1,923	1,819	16,23,02,461
28	राजस्थान	2,51,982	65,246	61,576	5,34,89,29,298
29	सिक्किम	3,407	490	403	3,80,30,501
30	तमिलनाडु	1	-	-	-
31	तेलंगाना	89040	29,634	27,779	2,55,72,67,025
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	918	180	170	1,51,25,000
33	त्रिपुरा	20,273	4,581	4,285	36,83,73,951
34	उत्तर प्रदेश	1,78,031	18,015	15,281	1,28,80,91,680
35	उत्तराखंड	20,357	1,538	1,387	11,97,99,947
36	पश्चिम बंगाल	1	-	-	-
	कुल	**30,00,000**	**6,09,490**	**5,26,278**	**43,29,41,22,444**